


हुक्म	<p>हुणमान सिंह बनाम मायो सिंह वी</p> <p>हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज</p> <p>हाथ नं. - 158/2014</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए</p>
<p>28.11.2022</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में वक्त पत्र बख्शा व व स्थायि निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (दिलीप सिंह) दिलीप सिंह उपरखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) </p>	

